न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 33/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
चेनाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी माण्डलजोधा तहसील डेगाना		1राज. सरकार जरिये नायब तहसीलदार, डेगाना। 2पटवारी हल्का माण्डल जोधा तहसील डेगाना।

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल खोजा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांकः 12.06.2018

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 382/17 सरकार बनाम चेनाराम में निर्णय दिनांक 27.02.17 से असंतुष्ट होकर यह अपील दिनांक 06.03.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.03.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के प्रावधानों के खिलाफ होने से व प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश अपीलांट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने के अवसर दिये ही एक पक्षीय आदेश पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अपीलांट दिनांक 30.01.17 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर धारा 10 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी का आवेदन पत्र पेश किया गया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के आवेदन पत्र पर बिना सुने ही व बिना कोई आदेश किये ही अपीलांट की अनुपस्थिति बताते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को पहले अपीलांट के आवेदन पत्र पर सुनकर आवेदन पत्र का निस्तारण किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के आवेदन पत्र पर बिना सुने ही व बिना कोई निस्तारण किये जैर अपील आदेश पारित किया है। जिससे जैर अपील आदेश विधि के प्रावधानों के खिलाफ होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं. 8/16 में अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया था। जिस आदेश के खिलाफ अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई अपील के विचाराधीन रहते हुए भी अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनी रूप से बडी भारी भूल की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नही आता है। जिससे भी जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

{2}(V)–अपीलांट के पूर्वजों के खातेदारी का खेत साबिका खसरा नं. 179 रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा था तथा आज से 40 वर्ष पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम निम्बडी कलां से पालियास मेडतासिटी जाने वाली सडक का निर्माण कार्य किया था। जिस सडक निर्माण का कार्य खसरा नं. 183 पर नहीं कर अपीलांट के व अपीलांट के पूर्वजों के खातेदारी खसरा नं. 179 पर कर दिया। जिससे अपीलांट के खातेदारी का खेत में से 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि सडक निर्माण कार्य में चली गई। जिस सडक का खसरा नं. 179/1 दर्ज हो गया। जिस भूमि का अपीलांट को व अपीलांट के पूर्वजों को कोई किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला और अपीलांट के खातेदारी का खेत 3 बीघा 15 बिस्वा कम होकर के शेष 15 बीघा 7 बिस्वा ही रहा तथा वर्तमान में खसरा नं. 179/1 पर सडक बनी हुई है। जो वर्तमान में खुली है तथा खसरा नं. 238 पर कभी भी किसी तरह का रास्ता नहीं रहा। क्योंकि सार्वजनिक विभाग ने नया रास्ता निकाल कर अपीलांट के खातेदारी के खेत में से सडक का निर्माण कर दिया गया और तत्कालीन राजस्व विभाग के अधिकारियों ने

अपर कलक्टर, नागौर

कहा कि जो कृषि भूमि सडक के चिपते ही है। उस खसरे की भूमि पर आप अपने बाडे वगैरा के रूप में उपयोग व उपभोग कर सकते हो तब से अपीलांट उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे है तथा मौके पर खसरा नं. 238 पर कोई किसी तरह का रास्ता नहीं है। बल्कि खसरा नं. 179/1 में सडक बनी हुई है। जो सडक अपीलांट की खातेदारी की भूमि में बनी हुई थी। जिस भूमि का अपीलांट को व अपीलांट के पूर्वजों को आज दिन तक मुआवजा राशि भी प्राप्त नहीं हुई तथा मौके पर कोई किसी तरह का रास्ता नहीं है। बल्कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो जाने से अपीलांट को गलत तरीके से हक व अधिकारों से वंचित करने की नीयत से राजनैतिक द्वेष भावना से अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

{2}(VI)–सर्वप्रथम संवत 2038 में अपीलांट के पूर्वजों के खिलाफ भी इस भूमि के अतिक्रमण के संबंध में धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही कर नोटिस जारी किया गया। तब अपीलांट के पूर्वजों ने न्यायालय के समक्ष उक्त पक्ष रखा गया तो उनके खिलाफ 91 की कार्यवाही को ड्रोप किया गया। तत्पश्चात संवत 2041 में दर्ज प्रकरण ड्रोप किया गया। इसलिये अपीलांट का अतिक्रमण नही माना जा सकता। राजनैतिक दबाब की वजह से जैर अपील आदेश पारित किया है। जिससे जैर अपील आदेश निस्तनीय है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति स्थगित करवाये जाने को लेकर अपीलांट द्वारा निगरानी/एलआर/1343/2017/ नागौर चेनाराम बनाम सरकार राजस्व मंडल में प्रस्तुत की। जिसमें निर्णय दिनांक 17.03.17 के द्वारा अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण हटा लेने व भविष्य में अतिक्रमण नही करने को लेकर शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं शपथ पत्र की सत्यता की संतुष्टि पर इस अपील के निर्णय तक अधीनस्थ न्यायालय का आदेश के तहत सिविल कारावास की सजा को स्थगित किया गया है। जिसकी पालना में अपीलांट द्वारा आराजी भूमि से अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया तथा मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 07.04.17 के अनुसार अपीलांट का अतिक्रमण नही होने का सत्यापन भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में सिविल कारावास की सजा माफ की जानी चाहिये।

{3}–रेस्पोडेन्ट के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपीलान्ट की अपील में दिये गये तथ्यों का खण्डन करते हुए दलील दी कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से अपीलान्ट को नोटिस दिया गया। जिस पर अपीलांट जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। जो लोकोपयोगी भूमि है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में अपीलांट का अतिक्रमण पाये जाने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस मामलें में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होना तथा विधिवत कार्यवाही करते हुए अपीलांट को कब्जा हटाने हेतु नोटिस दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित भी हुआ है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। जो लोकोपयोगी भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत रास्ता किस्म की भूमि होने से ऐसी भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंधित है। अपीलांट द्वारा आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिये जाने व भविष्य में पुनः अतिक्रमण नही करने का शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका दिनांक 07.04.17 के अनुसार अपीलांट का आराजी भूमि पर कब्जा नही होने का सत्यापन भी हो चुका है तो ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील के तहत सिविल कारावास के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.17 के तहत सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है। शेष बेदखली व जुर्माना से संबंधित आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर
राजस्थान